

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक:आर-30/जे0डी0/लखनऊ-13(गा0बाद)

दिनांक: फरवरी

,2015

सेवा में,

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय:

मैसर्स मेगस कन्सॉलियम आर्किड एवेन्यू प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-01, अभय खण्ड-4 इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग " वेदान्त मीनारेट " भवन के निर्माण हेतु संशोधित मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

यूआईडी:

2015/6891/जीजैडबी/गाजियाबाद/389/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी वैशाली जनपद गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 09-02-2015 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या: 09-02-2014 उपनिदेशक मेरठ फा0स0 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

कुल प्लॉट एरिया-2559.53 वर्ग मी0 है जिसमें एक टावर प्रस्तावित है जिनका फ्लोर वाईज एरिया निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम तल	पूर्व स्वीकृत आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग मी0	प्रस्तावित विवरण	
			तल	वर्तमान में प्रस्तावित आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग मी0
1	स्टिल्ट/भूतल	432.28	एस/जी	459.77
2	प्रथम तल से ग्यारहवें तल तक	425.84 प्रत्येक	1 से 12 तक	428.05 प्रत्येक
3	12 से 15 वे तल	246.50 प्रत्येक	सर्विस तल	221.59
4	बेसमेन्ट प्रथम एवं द्वितीय एरिया	1306.23 प्रत्येक	13 से 22 तक	246.97 प्रत्येक
5			23 वा तल	95.48
6			बेसमेन्ट-1 व 2	1306.23 प्रत्येक
7	ऊँचाई	47.90 मीटर।		73.35 मीटर।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1- पहुच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई-6.5 मी0 है।

3-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-12.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-12.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन में चारों ओर 15-15 मीटर सैटबेक वॉच्छनीय है जबकि 12 मीटर का प्रविधान किया गया तथा 12 से अधिक सैटबेक अनुवर्ती तल पर भवन विनियमावली के प्रस्तर संख्या: 3.4.5 (iv) (ग) के अनुसार प्रस्तावित है इस प्रकार सैटबेक विनियमावली-2011 मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहै

संयुक्त निदेशक
कार्य संचालन मुख्यालय
लखनऊ

होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है जिसमें पार्किंग इत्यादि भी अनुमत्य नहीं है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के ब्लॉक में 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित हैं जिनकी चौड़ाई 1.5 एवं 1.25 मीटर प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निर्मांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वांछनीय है।

1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने वांछनीय है।

3-टेरिस टैंक:- भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार लीटर, क्षमता का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

4-होजरील:- प्रस्तावित भवन के ब्लॉक/टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैंडिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वांछनीय है।

5-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हार्डड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानकों के अनुसार वांछनीय है।

6-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुसार वांछनीय है।

7-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-समस्त भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

8-ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:-समस्त भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

9-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानकों के अनुरूप है।

10-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के दोनों बेसमेंट प्रस्तावित है जिसमें स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

11-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त तलों पर एग्जिट साईनेज की स्थापना मानकों के अनुसार वांछनीय है।

12-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछनीय है।

13. हैलीपैड:- हैलीपैड का प्राविधान प्रश्नगत भवन में मानकों के अनुसार वांछनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के स्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानकों के अनुसार वांछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स मेगस कन्सॉलियम आर्किड एवेन्यू प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-01, अभय खण्ड-4 इन्द्रापुरम जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग " वेदान्तम मीनारेट " के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

संयुक्त निदेशक
(प्रि0के0राव)
फायर निदेशक, फायर सर्विस
५.५. लखनऊ
३०.१०. लखनऊ।

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी वैशाली, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स मेगस कन्सॉलियम एल0एम0 मैगस बिल्डर्स प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-01, अभय खण्ड-4 इन्द्रापुरम को अनुपालनार्थ।